RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३२] शुक्रवार, सप्टेंबर ११, २०१५/ भाद्र २०, शके १९३७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगरविकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित २९ अगस्त, २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVIII OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८, सन् २०१५।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९६६ का महा. ३७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए।

(२) यह २२ अप्रैल २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ३७ में धारा २६क की निविष्टि ।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा २६ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का ३७।

पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना ।

" **२६क.** (१) धारा २३, २५ और २६ में किसी नियत समय-सीमा के होते हुये भी, राज्य सरकार, प्रारूप विकास योजना की तैयारी के किन्हीं स्तर पर, अधिकतम लोक हित में और अभिलिखित किये जाये ऐसे कारणों के लिये, आदेश द्वारा, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को, पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी। जारी किये गये ऐसे आदेश पर, संबंधित योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना, धारा २६ द्वारा यथा उपबंधित रित्या आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रकाशित कर सकेगा :

परंतु, राज्य सरकार या तो **स्व-प्रेरणा से** या आदेश द्वारा, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी से आवेदन पर और उसमें अभिलिखित किये गये कारणों के लिये पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के लिये समय-सीमा विस्तारीत कर सकेगी।

(२) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ के प्रारम्भण याने २२ अप्रैल २०१५ के प्रारंभण की अवधि के दौरान और **राजपत्र** में, उक्त अध्यादेश के प्रकाशन के दिनांक की समाप्ति तक योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा जारी किया कोई निदेश, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा। " सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १८।

वक्तव्या

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) का अध्याय ३, विकास योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण तथा मंजूरी के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ३१, योजना प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम की धाराएँ २६ से ३० के अधीन तैयार की गई प्रारुप विकास योजनाओं को राज्य सरकार की मंजूरी के लिये उपबंध करती है।

२. कई मामलों में यह देखा गया है कि, योजना प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई विकास योजना त्रुटीपूर्ण होती है तथा उनमें अनियमितता होती हैं और वह वास्तविक धरातल से सामंजस्य नहीं रखती हैं तब राज्य सरकार को उसके प्रस्तुतीकरण के पूर्व, प्रारंभिक स्तर पर उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता हैं।

३. इसलिए, राज्य सरकार, यह उपबंधित करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझती है कि यदि उक्त अधिनियम की धारा २६ के अधीन योजना प्राधिकरण द्वारा तैयार तथा प्रकाशित प्रारूप विकास योजना राज्य सरकार द्वारा यदि इस प्रकार निदेशित होगी तो योजना प्राधिकरण के स्तर में परिशोधित होगी और वह तैयार पुनरीक्षित प्रारूप विकास योजना आम लोगों से आक्षेप और सुझाव मांगने के लिये तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी।

४. सन् २०१४ का महा. ४३ द्वारा यथा प्रतिस्थापित उक्त अधिनियम की धारा १५४ की उप-धारा (१) केंद्र या राज्य सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों या परियोजनायों को कार्यान्वित करने या प्रभावित करने के लिए या कार्य या बड़े पैमाने पर लोकहित में कार्यक्षम प्रशासन के लिए प्रादेशिक बोर्ड, योजना प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण को निर्देश या अनुदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाती है। यह अधिकतर उपबंध है कि ऐसे निदेशों या अनुदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसे निदेशों या अनुदेशों को कार्यान्वित करना इन प्राधिकरणों का कर्तव्य होगा।

तथापि, विकास योजना के त्रुटिपूर्ण प्रारूप में संशोधन करने के लिए नियोजन प्राधिकरण को निदेश देने की दृष्टि से, धारा १५४ की, उक्त उप-धारा (१) के अधीन की शक्तियों का अवलंब करेगी या नहीं के बारे में विधिक स्थिति संदेहजनक हैं।

५. इसलिए, उक्त अधिनियम में उस प्रभाव का उपबंध सुस्पष्ट करने की दृष्टि से, एक नई धारा २६क को समाविष्ट करने के लिए, किसी भी स्तर में प्रारुप विकास योजना की तैयारी बड़े पैमाने पर लोकहित में और कारणों को अभिलिखित किए जाने के लिए, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, पुनरीक्षित प्रारुप विकास योजना तैयार करने के लिए, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को निदेश देना इष्टकर समझती है । यह भी उपबंध करना इष्टकर समझा गया है कि, जारी किए जाने वाले ऐसे आदेश पर, संबंधित योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर धारा २६ द्वारा यथा उपबंधित रीत्या पुनरीक्षित प्रारुप विकास योजना को प्रकाशित करेंगे ।

६. चूँकि, २२ अप्रैल २०१५ को प्रवृत्त हुए, सन् २०१४ का महा. ४३ द्वारा यथा प्रतिस्थापित उक्त धारा १५४ की उक्त उप-धारा (१), यह भी उपबंध करना इष्टकर समझती है कि, प्रस्तावित धारा २६क उस, दिनांक अर्थात् २२ अप्रैल २०१५ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। यह भी उपबंधित करना इष्टकर समझा गया है कि, योजना प्राधिकरण या उक्त अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोई निदेश, उक्त दिनांक के पश्चात्, अर्थात् २२ अप्रैल २०१५ के पश्चात उक्त धारा २६क के उपबंधों के अधीन जारी किए गए समझे जाएँगे।

७. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ३७) में, अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित २९ अगस्त २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. नितीन करीर,
सरकार के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.